मूल अधिकार की विशेषताए :—

(ii) मूल अधिकारों को सभी सरकारे मान्यता देंगी तथा क्रियान्वित करने को बाध्य → यदि कोई सरकार मूल अधिकारों के अनुरूप काम नही करती तो न्यायपालिका उसको लागु करने के लिए सरकार को बाध्य कर सकती है।

(iii) मूल अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका → यदि कोई व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार मूल अधिकारें का हनन करती है तो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। इससे स्पष्ट है कि न्यायपालिका मूल अधिकारें की संरक्षक है।

(iv) सरकार की निरंकुशता पर अंकुश — मूल अधिकारें का सभी सरकारो पर एक अंकुश रहता है क्यो कि कोई भी सरकार मूल अधिकारें पर अंकुश नही लगा सकती। वह मूल अधिकारों के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है।

(v) कुछ अधिकार भारत मे रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त है — कुछ अधिकार भारत मे रहने वाले

सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वे भारत के नागरिक हों अथवा नहीं जैसे – जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

(vi) राष्ट्र तथा समाज हित में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध ——— संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार दिये गये हैं, व्यक्ति के अधिकारों से राष्ट्र तथा समाज का हित उच्च होता है। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा तथा समाज के हित में मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

(vii) मूल अधिकार भारत की परिस्थितियों के अनुकूल ——— मूल अधिकारों को भारत की परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर जीवनोपयोगी बनाया गया है अर्थात व्यक्ति के जीवन में इनका बड़ा महत्व है।

(viii) मूल अधिकारों को भारत के संविधान में स्थान ——— मूल अधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मूल अधिकारों को सर्वोच्च मूल – विधि में स्थान दिया गया है, अर्थात मूल अधिकारों का विषय

भारत के संविधान में दिया हुआ है।

* कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य :-

* मौलिक अधिकार वह है, जो राज्य के लिखित संविधान द्वारा सुरक्षित व कार्यान्वित होता है। इसे निर्धारित संशोधन विधि द्वारा बदला जा सकता है, इसे किसी निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से हटाया या निलंबित नहीं किया जा सकता तथा राज्य का कोई अंग इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। दुर्गादास बसु (D.D BASU)

* अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती तथा हर राज्य की पहचान उसके द्वारा सुरक्षित अधिकारों से होती है

Dr. Khushbu
Dep — Political science

Scanned with CamScanner